संख्या 2539/79-6-04-7(9)/2004

प्रेषक,

जे.एस.दीपक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 08 दिसम्बर, 2004

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका-पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्याः 196/2001 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित ओदश दिनांक 28.1.2001 एवं 20.4.2004 के अनुपालन में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका-पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिए जाने सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-1429/79-6-04-1(6)/2000 टी.सी.-3 दिनांक 25.6.2004, 31.8.2004 एवं दिनांक 28 सितम्बर, 2004 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना अन्तर्गत खाना पकाने के लिए सामग्री/मजदूरी की व्यवस्था (कन्वर्जन कास्ट) हेतु व्यय वहन करने के निमित्त तृतीय चरण में संलग्न विवरणानुसार रूपया 44,97,84,000/- (रू0 चौवालिस करोड़ सत्तानवे लाख चौरासी हजार मात्र) धनराशि अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल महोदय अपनी सहमति सहर्ष प्रदान करते है।

3. उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-71 के अधीन लेखा शीर्षक-'2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता -25-मिड-डे-मील योजना अन्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को पका-पकाया गरम भोजन दिया जाना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

4. स्वीकृत धनराशि (संलग्न विवरण के अनुसार) जिलाधिकारी के निर्वतन पर रखी जाएगी, जिलाधिकारी इस धनराशि को आवश्यकतानुसार आहरित कर निर्धारित कार्यों पर व्यय करने हेतु नगर निगम/नगर पंचायत/टाउन एरिया/ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायेंगे। जिनके द्वारा उनकी क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत आने वाले उक्त विद्यालय/केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को गरम पका-पकाया भोजन (कुक्ड मील) उपलब्ध कराया जाएगा।

5. इस धनराशि के रख-रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जाएगी।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11/दस-04 दिनांक 02.12. 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय
ह0
(जे.एस.दीपक)
सचिव

<u>पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, पंचायती राज विभाग।
4. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
6. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त–ई–11/उत्तर प्रदेश शासन।
8. नियोजन विभाग, अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन।
9. नगर विकास विभाग, सूडा/डूडा, उत्तर प्रदेश शासन।
10. पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
11. बजट अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
12. खाद्य एवं रसद अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन।
13. ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम।
15. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
16. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
17. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)

विशेष सचिव